



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2015—माघ 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. 687-20-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

[दिनांक ८ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २१ जनवरी, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।

संक्षिप्त नाम।

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ४ में,—

धारा ४ का संशोधन।

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द तथा अंक “क्रमांक १० सन् १९४९” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “क्रमांक १७ सन् २०१२” स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रावधान में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३-ख से ९ (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए),” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ (क्रमांक १७ सन् २०१२) की धारा ४ से ११ तथा १३,” स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. 688-20-इकीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2015) का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2015**

**THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2014**

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2015; assent First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 21st January, 2015].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam 2014.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982),— (i) in the marginal heading, for the words and figures “No. X of 1949”, the words and figures “No. 17 of 2012” shall be substituted;

(ii) in the provision, for the words, figures and brackets “section 3B to 9 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949)”, the words, figures and brackets “sections 4 to 11 and 13 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012)” shall be substituted.